

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी (रेस्टोरेशन) 2933-2114

श्री. पुलक तिपारी, को.115
द्वारा आज दि. 5-9-14 को
प्रस्तुत

बबलू
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता, आयु-
54 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, निवासी- नीलम
कॉलोनी, सबलबढ़, जिला मुरैना म.प्र.

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना,
जिला मुरैना म.प्र.
2. श्री डी.डी. अग्रवाल, तत्कालीन कलेक्टर,
मुरैना, वर्तमान पदस्थापना- कलेक्टर
निवास, जिला आगर म.प्र.
3. तहसीलदार, तहसील - सबलबढ़, जिला -
मुरैना म.प्र.

.....प्रत्यर्थागण


आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 94 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32
आदेश दिनांक 13/03/2014 परादि द्वारा सी.पी.सी. धारा 32
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता वास्ते प्रकरण क्रमांक 1492/2014 को रेस्टोर

किये जाने बाबत

सम्माननीय न्यायालय,


आवेदक की ओर से आवेदन पत्र सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यहकि, आवेदक द्वारा वर्तमान याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश
दिनांक 13.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय
न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2014 से अदम पैरवी में निरस्त किया



2933-I/14

मुंबई

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अंशधारकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 6-10-18 | <p>उपरोक्त की ओर से श्री परमेश्वर त्रिपाठी उपस्थित। उक्त शर्तों के अनुसार ए. ए. ए. प्रमाणपत्र जारी है। उक्त शर्तों के अनुसार प्रमाणपत्र 2/1492-I/14 जारी है। उक्त शर्तों के अनुसार प्रमाणपत्र जारी है।</p> |  |

R
2/14